संख्या–295/2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 19. फरवरी, 2022

विषयः–कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत रात्रि कालीन कफ्र्यू समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–15/2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022 व आदेश संख्या–69/2022–सीएक्स–3, दिनांक 09.01.2022 द्वारा प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाए जाने एवं आदेश संख्या–258/2022–सीएक्स–3, दिनांक 13.02.2022 द्वारा रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत दिनांक 19.02.2022 से रात्रि कालीन कफ्र्यू समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–295 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(तरूण गाबा)
सचिव।